



## कार्यालय निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा पंचकूला

आदेश क्रमांक KW 1/1-2003 प्रशा0 (1)

दिनांक, पंचकूला 13.08. 2018

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0 दिनांक 06.08.2018 जो कि हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करने से सम्बन्धित है, निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। आदेशों की दृढता से पालना की जाए।

1. निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 हरियाणा, गुरुग्राम।
3. राज्य के सभी प्राचार्य, डाईट।
4. राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
5. राज्य के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।
6. सहायक निदेशक प्रशासन (सैकेण्डरी)।
7. रजिस्ट्रार शिक्षा (सैकेण्डरी)।
8. अधीक्षक प्रशासन (प्राईमरी)।
9. मुख्यालय के सभी अधिकारी/अधीक्षक।
10. निजि सहायक/निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
11. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन।
12. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक शैक्षिक।
13. पी0ए0/संयुक्त निदेशक प्रशासन।
14. आई0टी0 सैल (मुख्यालय)।
15. अधीक्षक तालमेल शाखा।
16. सभी सहायक प्रशासन शाखा।

सहायक निदेशक प्रशासन  
कृते: निदेशक सैकेण्डरी शिक्षा  
हरियाणा पंचकूला

13/08/18

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 06.08.2018

विषय:-

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।

महोदय/महोदया,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 17 अगस्त, 2018 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

भवदीय,

J.P. Singh

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक चण्डीगढ़ 06.08.2018

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।

J.P. Singh

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है ।

J.P. Singh

अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार

अशा: क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 06.08.2018

